अपराह्न 1.52 बजे

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के मानकों में ढील दिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नौकरियों में पदोन्नति पर आरक्षण में जो पिछली सरकारों के समय हुआ और उच्चतम न्यायालय की ओर से जो रोक लगाई गई, उसमें पांच आदेश जारी किये गये, उसके विषय में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सारे वर्गों में इस बात की बहुत चर्चा रही, लेकिन जब से हमारी यह सरकार आई है। आज इस समय मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सरकार को धनय्वाद देना चाहूंगा कि पिछले सैशन के अन्दर एक फैसला लिया गया और सैशन में कहा गया कि इस संबंध में एक स्पेशल कन्वेंशन बुलाई जायेगी, एक अधिवेशन बुलाया जायेगा, जिसमें व्यापक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में पूरी चर्चा होगी। वह सरकार ने पांच, छः और सात दिसम्बर को बुलाया। उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं आये, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उसके बाद बहुत ही अच्छे ढंग से एक मैसेज, एक संदेश पूरे देश में गया। प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा...*(व्यवधान)* उस पर अमल हो रहा है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उस विषय में कहा कि हमारी सरकार और मैं इस विषय में गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। इसमें संविधान में हमें संशोधन करना पड़ेगा। हमारी सरकार उसमें संशोधन करेगी।

मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वह व्यापक रूप से एक सर्वदलीय सम्मेलन था और सब ने उसमें चर्चा की है। उसमें सारी राजनैतिक पार्टियों के सदस्य थे। उसमें पूरी तरह इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उसमें समस्त रूप से कहा है, मैं उनके भाषण की दो लाइन पढ़ना चाहूंगा, ''अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों को...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रधान, बैठ जाइये।

श्री अशोक प्रधान: मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से सिर्फ यह गुजारिश करूंगा कि उस समय संविधान में संशोधन करने की जो बात थी, उस संविधान संशोधन को कब तक यहां ला रहे हैं, उसके विषय में दो शब्द कहें? यह सत्र कल खत्म हो रहा है। कल इस सैशन का आखिरी दिन है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि कल तक इसकी घोषणा कर दें, जिससे कि पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाये। यह सरकार इस बात को स्वीकार करे। धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इस पर देश में बड़ी-बड़ी रैलियां हुई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को उड़ाया जा रहा है और ये संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, प्रधान मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सरकारी सेवा में आरक्षण के बारे में जारी किए गए कतिपय कार्यात्मक दिशानिर्देशों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में असंतोष पैदा हो गया है। इन दिशा-निर्देशों को तत्कालीन सरकार ने उच्चतम न्यायालय की कतिपय घोषणाओं के बाद जारी किया था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि 12वीं लोक सभा में इस सभापटल पर दिए गए मेरे आश्वासन के अनुसरण में हमारी सरकार ने इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठा दिए हैं।

एक कार्यालय ज्ञापन के विषय में मंत्रीमंडल ने 21 दिसम्बर, 1999 को हुई बैठक में राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के मामले में उत्तीर्णांक और मूल्यांकन के मानदंडों में ढील को बहाल रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 335 में एक परन्तुक सम्मिलित करने के बारे में एक संविधान संशोधन विधेयक लाने की स्वीकृति दे दी है। स्मरणीय है कि इस ढील को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा 22.7.1997 को एस. विनोद कुमार बनाम भारतीय संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के 1.10.1996 के निर्णय के अनुसरण में जारी अनुदेशों के अनुसार वापस ले लिया गया था। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से भी मंत्रणा की गई थी और आयोग ने प्रस्तावित संशोधन के प्रति अपनी आशंकाएं जाहिर की थी। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

एक और संविधान संशोधन लाने का प्रस्ताव है जिसमें यह संभव हो जाएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित बकाया पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरा जा सके। यह प्रस्ताव अपने अंतिम चरण में है।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने, दिनांक 16.9.1999 को दिए अपने हाल के निर्णय में अपने पूर्व निर्णयों को दोहराया। यह निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के सिद्धान्त से संबंधित है। इस निर्णय के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है ताकि एक ऐसा संविधान संशोधन लाया जाए जिससे इन निर्णयों से पूर्व व्याप्त वरिष्ठता सिद्धान्त बहाल किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और उनके उत्थान के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.35 बजे पुन: समवेत हुई

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

गुजरात के सूरत जिले में हलमोदी गाँव में मंदिर के शिलान्यास से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के बारे में

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: शून्यकाल अब समाप्त होता है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। मैंने सूचना भी दी है।

सभापति महोदय: कई माननीय सदस्यों ने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, गुजरात में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सभापति महोदय: यह संभव नहीं है। आप यह मामला कल उठा सकते हैं

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, यह काफी संवेदनशील मामला है। वहाँ शिलान्यास होने वाला है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मलियादुतुराई): महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का हिस्सा है। हमारे संविधान पर गुजरात और साथ ही कर्नाटक में चोट की जा रही है। आप शून्य काल को कुछ मिनट के लिए बढ़ाइए जिससे हम इस मामले को उठा सकें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह इसे कल भी उठा सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का मामला भी ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता।

सभापति महोदय: श्री कुरुप, आप कृपया संक्षिप्त में बोल कर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश कुरुप: गुजरात सरकार ने हिन्दू जागरण मंच और विश्व हिन्दू परिषद को सूरत के निकट एक गाँव में शिलान्यास की अनुमति दी है। वह स्थान विवादास्पद है*...(व्यवधान)* संपूर्ण ईसाई समुदाय ने इसका विरोध किया। कुछ समय से संघ परिवार गुजरात के ईसाई समुदाय को अपना निशाना बना रहा है*...(व्यवधान)* पिछले क्रिसमस के समय गुजरात के डांग जिले में, ईसाई समुदाय पर हमला किया गया था।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप: वहाँ चर्चों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): यह कोई मामला नहीं है। वे इसका मामला बनाना चाहते हैं ।